**सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं0 81/2020 (RCMS 2020/00225) अनवानी गुरदयाल राम पुत्र रामूराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 ई छोटी नाईयांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. खेतपाल पुत्र जगमाल 2. बाधु देवी बेवा मनफुलाराम पुत्र भानीराम** निवाासी जाति जाट 4 एम एल तह. व जिला श्रीगंगानगर **3. सीमा देवी पत्नी संतोष सहारण पुत्री मनफुलराम** जाति जाट निवासी कुलडियावाली तह. व जिला श्रीगंगानगर **4. राजपाल पुत्र मनफुलराम पुत्र** भानीराम जाति जाट निवासी 4 एम एल तह. व जिला श्रीगंगानगर **5. संदीप पुत्र मनफुलराम पुत्र भानीराम** जाति जाट निवासी 4 एम एल तह. व व जिला श्रीगंगानगर **6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपजिलाधीश राजस्व, श्रीगंगानगर 7. पूर्णी देवी पुत्री देऊ** जाति कुम्हार निवासी 5 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर **8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल** पुत्र ठाकरराम निवासी 5 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर **9 राजकुमार पुत्र सोहनलाल** पुत्र ठाकरराम निवासी 5 ई छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**23.11.2020**

**प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री महेन्द्र पाल एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री मोहन लाल छाबड़ा उपस्थिति हुए। दोनों पक्षो के उपस्थित अभिभाषकगण को सुना गया।

**पत्रावली के अवलोकन से पाया कि** प्रार्थी श्री खेतपाल ने **अधीनस्थ न्यायलय** उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 160/2015 व स्थगन प्रार्थना पत्र 275/2015 अनवानी गुरदयाल राम आदि बनाम खेतपाल आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए इस न्यायालय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 के तहत दिनांक 20.10.2020 को पेश किया था।

**अब चूंकि प्रार्थी के अधिवक्ता** ने फर्दअहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस (Not Press) अंकित किया एवं कर निवेदन किया कि वे उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए उनकी पत्रावली इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**मैनें बहस पर मनन किया** और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित एक प्रकरण संख्या 160/2015 व स्थगन प्रार्थना पत्र 275/2015 अनवानी गुरदयाल राम आदि बनाम खेतपाल आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था, अब चूंकि वह आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

**अतः उपरोक्त विवेचन के आधार** पर प्रार्थी गुरदयाल राम द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 23.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।**

**(महावीर प्रसाद वर्मा)**
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर